

1 प्ररूप संख्या 10-झच

[नियम 21 क ज का उपनियम (1) देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकघ के उपनियम (5) के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....
.....

महोदय/महोदया,

मैं [धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाले सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता) की ओर से जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन) है, पूर्व वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्ष 20 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकघ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प प्रयोग करता हूँ।

2. सहकारी समिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- (i) सहकारी समिति का नाम :
- (ii) क्या निवासी सहकारी समिति है : हां/नहीं
- (iii) पैन :
- (iv) रजिस्ट्रीकृत पता :
- (v) निगमन की तारीख : दिन/मास/वर्ष
- (vi) क्रियाकलापों की प्रकृति :

3. (i) क्या सहकारी समिति के पास धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई एफ एस सी) में कोई इकाई है? : हां/नहीं

(ii) यदि (i) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरा दे: (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभों को जोड़ा जा सकता है।)

	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
इकाई का नाम			
इकाई का पता			
इकाई में किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति			

5. मैं समझता हूँ कि धारा 115खकघ की उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का एक बार प्रयोग किए जाने पर, उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के पश्चात्त्वर्ती प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता है।

6. मैं आगे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि धारा 115खकघ की उपधारा (5) में बताई गई शर्तों और उपरोक्त सहकारी समिति द्वारा संतुष्ट होऊंगा।

स्थान [REDACTED]

तारीख [REDACTED]

भवदीय

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर [REDACTED]

नाम [REDACTED]

पदनाम [REDACTED]

पता [REDACTED]